राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2016/

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)

राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र–पालडी जोड

पीठासीन अधिकारीः– श्री महीपाल भारद्वाज, RAS

राजस्व वाद सं. 01/2016
तारीख दायरा 04.01.2016
तारीख फैसला 12.05.2016

वादीगण– बनामः

1–हीराराम पुत्र धुनाराम
2–राजीबाई पत्नी हीराराम
जातिगण मीणा निवासीगण बापूनगर
तहसील सुमेरपुर

प्रतिवादीगण–

1–हंजादेवी पत्नी हंसाराम
2–महेशकुमार पुत्र हंसाराम
3–पंकजकुमार पुत्र हंसाराम
4–चन्द्रकलां पुत्री हंसाराम
5–वीसाराम पुत्र तोलाजी
जातिगण मीणा निवासीगण बापूनगर
5–तहसीलदार (भूमिधारी) सुमेरपुर

उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला-पाली (राजस्थान)

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट,1955

–: फैसला :–

(1) कि यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र पालडी जोड में बरोज आ पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। कथित प्रकरण में पक्षकारों ने राजीनामा पेश किया जिसे बाद सत्यापन तस्दीक कर रेकर्ड पर लिया गया। हमने, पक्षकारों की दलील को सुना, साथ ही पत्रावली का अवलोकन व परीक्षण किया। प्रकरण की वाद–विषयक स्थिति अनुसार वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध सरहद मौजा पालडी जोड तहसील सुमेरपुर में स्थित पक्षकारों की संयुक्त खातेदारी वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नं. 175 रकबा 2.94 हेक्टर किस्म जा.दो.चा.दो, खसरा नं. 176 रकबा 0.01 हैक्टर किस्म गै.मु. बेरा, खसरा नं. 177 रकबा 0.08 हेक्टर किस्म गै.मु.सडा, खसरा नं. 178 रकबा 0.10 हेक्टर किस्म गै.मु.धुम्बा व खसरा नं. 179 रकबा 0.15 हेक्टर किस्म जा.दो.चा.दो. कुल रकबा 3.28 हेक्टर वार्षिक लगान रू. 91.11 में वादीगण 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी सं.01 लगाय 04 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं.05 का 1/4 हिस्सा के अनुसार रेकर्ड व मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के तहत बंटवाडा करवाये जाने एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है।

(2) कि लोक अदालत की भावना से राजीनामा के साथ पक्षकारों ने अपनी मौजूदगी में वादग्रस्त कृषि भूमि बाबत पटवारी हल्का पालडी जोड व भू–अभिलेख निरीक्षक पालडी जोड के मार्फत आपसी सहमति से जो बंटवाडा रिपोर्ट व नजरी नक्शा पेश किया है, उसके अनुसार पक्षकारों ने अंतिम बंटवाडा किए जाने के लिए अपनी सहमति व्यक्त की है। पत्रावली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्य–दस्तावेजों, राजीनामा व आपसी सहमति से किए गये बंटवाडे व नजरी नक्शे के अनुसार वादपत्र में वर्णित तथ्यों की पुष्टि होती है और इस आधारित हमारे विधिक मतानुसार प्रश्नगत् कृषि भूमि का माफिक राजीनामा व संलग्न बंटवाडा रिपोर्ट एवं नजरी नक्शे के अनुरूप अंतिम बंटवाडा करने व इसी मुजब राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाया जाना उचित समझते है।

(3) कि उल्लेखित विवेचन तथ्यों के परिणामतः वादीगण का कथित वादपत्र स्वीकार एवं डिक्री किया जाकर सरहद मौजा पालडी जोड तहसील सुमेरपुर में स्थित पक्षकारों की संयुक्त खातेदारी वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नं. 175 रकबा 2.94 हेक्टर किस्म जा. दो.चा.दो, खसरा नं. 176 रकबा 0.01 हैक्टर किस्म गै.मु.बेरा, खसरा नं. 177 रकबा 0.08 हेक्टर किस्म गै.मु.सडा, खसरा नं. 178 रकबा 0.10 हेक्टर किस्म गै.मु.धुम्बा व खसरा नं. 179 रकबा 0.15 हेक्टर किस्म जा.दो.चा.दो. कुल रकबा 3.28 हेक्टर वार्षिक लगान रू. 91.11 में वादीगण 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी सं.01 लगाय 04 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं.05 का 1/4 हिंस्सा के अनुसार एवं पक्षकारों के मध्य हुए माफिक राजीनामे व बंटवाडे तथा नजरी नक्शे के अनुसार निम्न रूपेण अंतिम बंटवाडा किया जाता है:–

लगातार–2

Scanned by CamScanner

क्र.सं.	खातेदार का विवरण	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
A	हंजादेवी पत्नी हंसाराम, महेशकुमार पंकजकुमार पिसरान हंसाराम, चन्द्रकलां पुत्री हंसाराम तमाम कौम मीणा सा.देह खातेदार	175/3	0.735 हेक्टर	जा.दो.चा.दो.
B	राजीबाई पत्नी हीराराम कौम मीणा सा.देह खातेदार	175/2	0.735 हेक्टर	जा.दो.चा.दो.
C	वीसाराम पुत्र तोलाजी कौम मीणा सा.देह खातेदार	175/1	0.735 हेक्टर	जा.दो.चा.दो.
D	हीराराम पुत्र धुनाराम कौम मीणा सा. देह खातेदार	175/1	0.735 हेक्टर	जा.दो.चा.दो.
E	हंजादेवी पत्नी हंसाराम, महेशकुमार पंकजकुमार पिसरान हंसाराम, चन्द्रकलां पुत्री हंसाराम, राजीबाई पत्नी हीराराम, वीसाराम पुत्र तोलाजी, हीराराम पुत्र धुनाराम तमाम कौम मीणा सा.देह खातेदार	175/4 176 177 178 179	0.04 हेक्टर (रास्ता हेतु) 0.01 हेक्टर 0.08 हेक्टर 0.10 हेक्टर 0.15 हेक्टर	जा.दो.चा.दो. गै.मु.वेरा गै.मु.सडा गै.मु.थुम्बा जा.दो.चा.दो.

नोटः– उपरोक्त बंटवाडा बाबत नजरी नक्शा इस फैसला का अभिन्न भाग माना जायेगा।

उपरोक्त अंतिम बंटवाडा मुजब तहसीलदार सुमेरपुर व पटवारी हल्का पालडी जोड राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार अमल दरामद व तरमीम कर पालना सुनिश्चित करे। माफिक फैसला अंतिम डिक्री–पर्चा मुर्तिब हो।

यह फैसला बरोज आज दिनांक 12.05.2016 को राजस्व लोक अदालत केम्प पालडी जोड में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली

Scanned by CamScanner